संचिका संख्या–12(नि०)/प०ग०(पशुक्रूरता) 02/2014........998 (नि०)

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

डॉ० एन० विजयलक्ष्मी,भा०प्र०से०

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–

अध्यक्ष, जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाईटी, बिहार।

सभी पुलिस अधीक्षक–सह–

उपाध्यक्ष, जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाईटी, बिहार।

पटना– 15, दिनांक – 26/03/2018

विषयः– **पशु क्रूरता निवारण सोसाईटी की अद्यतन बैठक करने एवं आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–2983 (नि०) दिनांक–06.11.2015,141(नि०) दिनांक–17.01.2016, 612 (नि०) दिनांक– 08.03.2017.**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की ओर आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए कहना है कि आपको अपने जिलान्तर्गत गठित पशु क्रूरता निवारण सोसाईटी की नियमित बैठक आयोजित करने एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम–1960 एवं नियमावली–2001 के नियम–3 के तहत ससमय उचित कार्रवाई कर, किये गये कार्यों का प्रतिवेदन एवं विगत तीन बैठक (अद्यतन) की कार्यवाही विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। इसके बावजूद अभी तक जिलों में पशु क्रूरता निवारण सोसाईटी की नियमित बैठक नहीं की जा रही है एवं बैठक की कार्यवाही तथा किये गये कार्यों का प्रतिवेदन नियमित रूप से नहीं भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि अपने जिलान्तर्गत गठित जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाईटी की नियमित बैठक आहूत कर अद्यतन 3 (तीन) बैठक की कार्यवाही एवं किये गए कार्यों का प्रतिवेदन विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करायें।

विश्वासभाजन

23/3/18

ह० सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–...........12(नि०)/प०ग०(पशुक्रुरता) 02/2014........998 (नि०)........पटना–15, दिनांक– 26/03/2018

प्रतिलिपि–सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी–सह–सचिव जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाईटी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करावें।

प्रतिलिपि–विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने तथा ई–मेल करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० सरकार के सचिव।
23/3/18